यूको बैंक
UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम)

वर्ष : 2025-26
अंक : 2

यूको दीप

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, बेगूसराय

की छमाही पत्रिका

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का
Honours Your Trust

यूको राजभाषा प्रतिज्ञा

"हम, यूको बैंक के स्टाफ-सदस्य, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि

हम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु निरंतर कार्य करेंगे।

हम अपने बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन में गति लाने एवं

उसकी स्थिति को उन्नत करने के प्रति सदैव सजग रहेंगे।

हम अपने सामूहिक प्रयास से राजभाषा के क्षेत्र में अपने बैंक को गौरवशाली बनाएंगे।

हम स्वयं राजभाषा में दृढ़तापूर्वक कार्य करेंगे एवं दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।

हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम के उपबंधों

एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करके

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी

यूको बैंक को सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का बैंक बनाएंगे।"

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

यूको दीप

अंचल कार्यालय, बेगूसराय की छमाही पत्रिका

अंक-2

अक्तूबर, 2025 -मार्च, 2026

संरक्षक

श्वेत प्रकाश कच्छप

उप महाप्रबंधक व अंचल प्रमुख

प्रेरणा

वेद प्रकाश

उप अंचल प्रमुख

दिग्दर्शन

प्रमोद कुमार

मुख्य प्रबंधक

अनिल सलारिया

मुख्य प्रबंधक

संपादक

राम अभिषेक तिवारी

प्रबंधक (राजभाषा)

नोट : पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के हैं, बैंक के नहीं ।

अनुक्रमणिका

विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), का संदेश	4
अंचल प्रबंधक का संदेश	5
उप अंचल प्रबंधक का संदेश	6
संपादकीय	7
सुदृढ़ कासा, सशक्त बैंक	8
राष्ट्रीय लोक अदालत : न्याय का सुलभ और त्वरित माध्यम	13
कविता	16
सतर्कता जागरूकता सप्ताह	17
हर हाथ को बैंकिंग, हर सपने को पंख	21
यात्रा वृतांत	23
बैंक का वित्तीय परिणाम: वित्तीय वर्ष 2025-26	30
राजभाषा अधिनियम, 1963	33
राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज: हिंदी	40
बाल कला	42

प्रकाशन एवं संपर्क

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, बेगूसराय

सोना जोगेश्वर कॉम्प्लेक्स, ट्रैफिक चौक

ई-मेल : zobegusarai.ol@uco.bank.in

डॉ विचित्र सेन गुप्त
उप निदेशक (कार्यान्वयन)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र),
-- x --

234/4, ए.जे.सी. बोस रोड,
निजाम पैलेस, कोलकाता-20

संख्या- 24/2/2015-क्षे.का.का.(कोल)/ 189

दिनांक-23.03.2026

संदेश

यह अत्यंत गर्व का विषय है कि यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, बेगूसराय राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उन्नयन की दृष्टि से छमाही ई-पत्रिका **'यूको दीप'** के आगामी अंक का प्रकाशन करने जा रहा है । भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं हिंदी भाषा के प्रचार- प्रसार की दिशा में नि:संदेह यह एक सराहनीय प्रयास है । सृजनात्मकता के दृष्टिकोण से यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, बेगूसराय के सभी कार्मिक एवं संपादक मंडल इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं ।

मैं आशा करता हूँ कि यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, बेगूसराय भविष्य में भी राजभाषा हिंदी की प्रगति की दिशा में इस प्रकार के सकारात्मक प्रयासों के लिए सदैव तत्पर रहेगा ।

शुभकामनाओं सहित ।

(डॉ. विचित्रसेन गुप्त)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)

अंचल प्रबंधक का संदेश

प्रिय साथियो,

"यूको दीप" के इस नवीन अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह पत्रिका केवल एक प्रकाशन नहीं, बल्कि अंचल कार्यालय, बेगूसराय की कार्यसंस्कृति, उपलब्धियों, नवाचारों एवं सामूहिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतिबिंब है।

यूको बैंक सदैव ग्राहक सेवा, विश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों के साथ आगे बढ़ता रहा है। बदलते बैंकिंग परिवेश में डिजिटल तकनीक, ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ तथा पारदर्शिता हमारी कार्यप्रणाली के प्रमुख आधार बन चुके हैं। अंचल कार्यालय, बेगूसराय के सभी शाखा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों ने टीम भावना, अनुशासन एवं समर्पण के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बैंक की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में हमें केवल व्यावसायिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि ग्राहकों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सरल, सुरक्षित एवं प्रभावी बनाना है। कृषि, एमएसएमई, रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में हमारी निरंतर प्रगति निश्चित रूप से सराहनीय है।

"यूको दीप" के माध्यम से हमारे सहयोगियों की साहित्यिक, रचनात्मक एवं बौद्धिक प्रतिभा को एक सशक्त मंच प्राप्त होता है। यह पत्रिका न केवल हमारे अनुभवों एवं विचारों का आदान-प्रदान करती है, बल्कि संस्थान के प्रति आत्मीयता एवं जुड़ाव को भी सुदृढ़ बनाती है।

मैं इस पत्रिका के संपादक मंडल एवं सभी रचनाकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ, जिनके अथक प्रयास से यह अंक प्रकाशित हो रहा है। आशा है कि "यूको दीप" का यह संस्करण पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

हार्दिक शुभकामनाएँ।

श्वेत प्रकाश कच्छप
उप महाप्रबंधक

उप अंचल प्रमुख का संदेश

प्रिय साथियो,

"यूको दीप" का यह अक्टूबर–मार्च, 2026 अंक हमारे सामूहिक प्रयासों, उपलब्धियों और नवाचारों का उज्ज्वल प्रतिबिंब है। यह पत्रिका केवल गतिविधियों का संकलन नहीं, बल्कि हमारी कार्यसंस्कृति, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवा भावना का सजीव दस्तावेज है।

गत छह माह में हमने बदलते बैंकिंग परिवेश, डिजिटल प्रगति, ग्राहक अपेक्षाओं और प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के बीच अपनी सुदृढ़ उपस्थिति बनाए रखी है। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का समर्पण और टीम भावना ही हमारी वास्तविक शक्ति है।

हमारा उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के साथ सतत प्रगति करना है। ग्राहक सेवा में संवेदनशीलता, अनुपालन में सजगता तथा नवाचार में सक्रियता - ये तीनों हमारे कार्य के आधार स्तंभ हैं। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी बैंक की साख का प्रतिनिधि है। जब हम पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सेवा-भाव के साथ कार्य करते हैं, तब संगठन की प्रतिष्ठा स्वतः सुदृढ़ होती है।

मुझे विश्वास है कि "यूको दीप" का यह अंक आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसमें संकलित उपलब्धियाँ, रचनात्मक लेख और उत्कृष्ट कार्य हमें नई ऊर्जा प्रदान करेंगे तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साहित करेंगे।

आइए, हम सभी मिलकर विश्वास, सेवा और उत्कृष्टता के पथ पर आगे बढ़ते हुए बैंक को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का संकल्प लें।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

वेद प्रकाश
मुख्य प्रबंधक

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

आपके हाथों में "यूको दीप" का नवीन अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह पत्रिका केवल सूचनाओं का संकलन नहीं, बल्कि हमारे संगठन की जीवंत कार्यसंस्कृति, रचनात्मकता और सामूहिक उपलब्धियों का दर्पण है।

गत छह महीनों में बैंकिंग क्षेत्र ने अनेक परिवर्तन देखे हैं - डिजिटल नवाचार, ग्राहक अपेक्षाओं में वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। इन सभी परिस्थितियों के बीच हमारे सहयोगियों ने समर्पण, दक्षता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है। हम बदलते बैंकिंग परिवेश में हम सभी नवाचार, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, व्यवसाय वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस अंक में उन्हीं प्रयासों, उपलब्धियों और अनुभवों को संजोने का प्रयास किया गया है।

"यूको दीप" केवल सूचनाओं का संकलन नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक सफलता, रचनात्मकता और टीम भावना का प्रतिबिंब है। हमें विश्वास है कि इस अंक की सामग्री आपको प्रेरित करेगी तथा संगठन के प्रति गर्व की अनुभूति कराएगी। हमें गर्व है कि विभिन्न शाखाओं एवं विभागों से प्राप्त लेख, रिपोर्ट और रचनात्मक सामग्री ने इस अंक को समृद्ध बनाया है।

संपादक मंडल सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समय निकालकर अपने विचार और अनुभव साझा किए। आशा है कि यह अंक आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा तथा संगठन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा।

आपके सुझावों और रचनात्मक सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी।

राम अभिषेक तिवारी
प्रबंधक-राजभाषा

सुदृढ़ कासा, सशक्त बैंक

सोहन कुमार
प्रबंधक
एसएमई हब, बेगूसराय

आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में बैंक किसी भी देश की वित्तीय रीढ़ होते हैं। उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा क्षेत्र तथा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की समस्त आर्थिक गतिविधियाँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों पर निर्भर करती हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, वैसे-वैसे बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण बनती जाती है। आज के दौर में जब बैंकिंग क्षेत्र तीव्र प्रतिस्पर्धा, डिजिटल परिवर्तन, फिनटेक कंपनियों की चुनौती तथा बढ़ती ग्राहक अपेक्षाओं के दौर से गुजर रहा है, तब किसी भी बैंक की मजबूती का मूल आधार उसकी जमा संरचना होती है।

वर्तमान समय में बैंकिंग क्षेत्र तीव्र प्रतिस्पर्धा, तकनीकी नवाचार और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल क्रांति, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएँ और वित्तीय बाजारों की जटिलताओं ने बैंकों के सामने नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। ऐसे परिवेश में किसी भी बैंक की सफलता केवल उसके ऋण वितरण या शाखा विस्तार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी वित्तीय संरचना और जमा आधार की मजबूती पर भी आधारित होती है। किसी भी बैंक की मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी जमा संरचना (Deposit Structure) होती है। विशेष रूप से कासा (Current Account & Savings Account) यानी चालू एवं बचत खातों का अनुपात किसी भी बैंक की वित्तीय स्थिरता, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रमुख सूचक माना जाता है, जो बैंक की नींव को मजबूत बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "सुदृढ़ कासा, सशक्त बैंक" केवल एक कथन नहीं, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र का मूल सिद्धांत है।

कासा की अवधारणा

बैंकों की जमा संरचना में **कासा (Current Account & Savings Account)** यानी **चालू खाता एवं बचत खाता** सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कासा का तात्पर्य बैंक के उन खातों से है जिनमें ग्राहक अपनी दैनिक या नियमित बचत एवं व्यावसायिक लेन-देन के लिए धनराशि रखते हैं। इसमें दो प्रकार के खाते सम्मिलित होते हैं :-

1. **चालू खाता (Current Account)**: यह खाता मुख्यतः व्यापारियों, कंपनियों और संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें असीमित लेन-देन की सुविधा होती है, परंतु सामान्यतः इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता।
2. **बचत खाता (Savings Account)**: यह खाता आम जनता के लिए होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी बचत सुरक्षित रखता है और उस पर बैंक द्वारा सीमित ब्याज दिया जाता है।

इन दोनों खातों में जमा राशि बैंक के लिए कम लागत वाली निधि का स्रोत होती है।

कासा अनुपात का अर्थ एवं महत्व

$$\text{कासा अनुपात} = \frac{\text{चालू + बचत खाता जमा}}{\text{कुल जमा}} \times 100$$

कासा अनुपात से तात्पर्य बैंक की कुल जमा राशि में चालू एवं बचत खातों की हिस्सेदारी से है।

कासा अनुपात का महत्व निम्नलिखित है -

1. **कम लागत पर संसाधन** : कासा के माध्यम से बैंक को कम ब्याज दर पर या बिना ब्याज के धन प्राप्त होता है। इससे बैंक की निधि लागत (Cost of Funds) कम हो जाती है। उच्च कासा अनुपात का अर्थ है कि बैंक को बड़ी मात्रा में ऐसा धन उपलब्ध हो रहा है जिस पर ब्याज बहुत कम या शून्य देना पड़ता है। इससे बैंक की लागत कीमत घटती है।
2. **लाभप्रदता में वृद्धि** : जब बैंक कम लागत पर प्राप्त धन को ऋण के रूप में अधिक ब्याज दर पर वितरित करता है, तो उसका निवल ब्याज मार्जिन बढ़ता है, जिससे लाभ में वृद्धि होती है।

निवल ब्याज मार्जिन जितना अधिक, बैंक उतना अधिक लाभप्रद माना जाता है।

3. वित्तीय स्थिरता एवं तरलता: कासा जमा अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, क्योंकि बचत और चालू खातों के ग्राहक लंबे समय तक बैंक से जुड़े रहते हैं। इससे बैंक की तरलता (Liquidity) स्थिति मजबूत बनी रहती है। जिससे बैंक को दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने में सुविधा मिलती है।
4. प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि: उच्च कासा अनुपात वाला बैंक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में होता है, क्योंकि वह कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर सकता हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धी बाजार में अन्य बैंकों से आगे रहते हैं।

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में कासा को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य हो गया है। इसके प्रमुख कारण हैं:-

1.तीव्र प्रतिस्पर्धा – सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी बैंकों में
2.फिनटेक कंपनियों का उभार
3.डिजिटल बैंकिंग का तेजी से विकास
4.ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएँ
5.मार्जिन पर दबाव

इन सभी परिस्थितियों में वही बैंक टिके रह सकते हैं जिनका कासा आधार मजबूत होता है।

कासा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक:

1. **ग्राहक सेवा की गुणवत्ता:** बेहतर ग्राहक सेवा ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि बैंक की सेवा बेहतर होगी, तो ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। **ग्राहक सेवा कासा वृद्धि की कुंजी है।**

- त्वरित एवं विनम्र सेवा
- शिकायतों का समयबद्ध समाधान
- व्यक्तिगत संबंध (Relationship Banking)

2. **डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ:** आज के डिजिटल युग में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जैसी सुविधाएँ कासा वृद्धि में सहायक हैं। कासा वृद्धि में डिजिटल सुविधाएँ निर्णायक बन चुकी हैं।

3. शाखा नेटवर्क और पहुंच: ग्रामीण, अर्ध-शहरी एवं शहरी क्षेत्रों में सशक्त शाखा नेटवर्क कासा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।
4. बैंक की ब्रांड छवि एवं विश्वास: ग्राहक उसी बैंक के साथ जुड़ना चाहता है जिस पर उसे भरोसा हो।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह विश्वास एक महत्वपूर्ण पूंजी है।
5. **उत्पादों की विविधता:** विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद होना कासा को मजबूत बनाता है।

कासा को सुदृढ़ बनाने के प्रभावी उपाय:

1. **ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण:** बैंक को ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझते हुए सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए। बैंकिंग की सफलता का मूल मंत्र है :- **ग्राहक प्रथम**

- त्वरित सेवा
- पारदर्शिता
- सम्मानजनक व्यवहार
- शिकायत निवारण
  व्यक्तिगत संबंध

2. **डिजिटल बैंकिंग का विस्तार**: आज के युग में डिजिटल सुविधाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन खाता खोलना, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और QR भुगतान, डिजिटल ऑनबोर्डिंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

3. **नवोन्मेषी खाते एवं योजनाएँ:** विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग उत्पाद विकसित करना आवश्यक है:

- छात्रों के लिए विशेष बचत खाता
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाजनक योजनाएँ
- महिलाओं के लिए विशेष खाते
- व्यापारियों के लिए चालू खाता पैकेज

4. **वित्तीय समावेशन** : ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कासा वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है।

- जनधन खाते
- BC (Business Correspondent) मॉडल माइक्रो बैंकिंग

5. **क्रॉस-सेलिंग और अप-सेलिंग** : कासा उत्पादों के प्रचार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। बैंक को अपने मौजूदा ग्राहकों को अन्य सेवाओं से जोड़ना चाहिए । जैसे: बीमा, म्यूचुअल फंड, ऋण सुविधाएँ आदि ।

6. **कर्मचारियों का प्रशिक्षण** : बैंक कर्मचारियों को ग्राहक सेवा और उत्पादों की जानकारी में दक्ष बनाना चाहिए। बैंक कर्मचारियों को कासा वृद्धि के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

7. **प्रचार एवं वित्तीय साक्षरता** : सुरक्षित और तेज बैंकिंग सेवाओं के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है। कासा उत्पादों के प्रचार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए । जैसे : सोशल मीडिया, स्थानीय अभियान, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आदि ।

बैंक को सशक्त बनाने में कासा की भूमिका: कासा किसी भी बैंक को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1. **वित्तीय मजबूती**: उच्च कासा अनुपात बैंक को कम लागत वाला धन उपलब्ध कराता है, जिससे वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है।
2. **जोखिम प्रबंधन**: कम लागत वाले संसाधनों के कारण बैंक जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है।
3. **ग्राहक आधार में निरंतर वृद्धि** : कासा खातों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहक आधार को बढ़ा सकता है। कासा के माध्यम से बैंक ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित कर सकता है।

चुनौतियाँ और समाधान:

कासा को सुदृढ़ बनाने में निम्नलिखित चुनौतियाँ भी सामने आती हैं :-

- निजी बैंकों और फिनटेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा
- ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएँ
- डिजिटल सुरक्षा के मुद्दे
- साइबर सुरक्षा जोखिम

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बैंक निम्नलिखित समाधान अपना सकते हैं:-

- तकनीकी उन्नयन
- ग्राहक अनुभव में सुधार
- साइबर सुरक्षा को मजबूत करना
- नवाचार को बढ़ावा देना
- कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना

भारतीय बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में कासा

भारत में कासा का महत्व और भी अधिक है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग अभी भी बैंकिंग सेवाओं से पूर्णतः जुड़ नहीं पाए हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक दोनों कासा वृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों ने कासा खातों की संख्या में वृद्धि की है। इससे न केवल बैंकिंग प्रणाली मजबूत हुई है, बल्कि आम जनता को भी वित्तीय सुरक्षा मिली है।

भविष्य की संभावनाएँ

भविष्य में कासा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। डिजिटल भुगतान, नकदी रहित अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार कासा को और अधिक प्रासंगिक बनाएंगे। बैंक जो समय के साथ स्वयं को ढालेंगे और कासा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वे ही भविष्य में सफल होंगे।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि "सुदृढ़ कासा, सशक्त बैंक" एक ऐसा सिद्धांत है जो बैंकिंग की सफलता का आधार है। कासा केवल जमा का माध्यम नहीं, बल्कि बैंक की वित्तीय स्थिरता, लाभप्रदता और विकास का आधार स्तंभ है।

यदि बैंक अपने कासा आधार को मजबूत करने के लिए ग्राहक सेवा, डिजिटल सुविधाओं, नवाचार और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करें, तो वे न केवल अपने व्यवसाय को सुदृढ़ बना सकते हैं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनका कासा मजबूत होगा और वही सुदृढ़ कासा उन्हें एक **सशक्त, स्थिर एवं प्रगतिशील बैंक** के रूप में स्थापित करेगा।

यही कारण है कि कहा जाता है—
"सुदृढ़ कासा ही सशक्त बैंक की असली पहचान है।"

व्हाट्सएप्प बैंकिंग सक्रिय करने की प्रक्रिया

विधि-1

- यूको बैंक के व्हाट्सएप्प बैंकिंग नंबर 8334001234 को अपने मोबाइल की संपर्क सूची में सेव करें ।

या

- व्हाट्सएप्प के माध्यम से सेव करें ।
- व्हाट्सएप्प के माध्यम से सेव किए गए नंबर पर "Hi" भेजें ।
- अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें ।
- उपलब्ध सेवा सूची में से आवश्यक सेवा पर क्लिक करें ।
- खाता संबंधी जानकारी से जुड़ी सेवा का चयन करें।

विधि-2

नीचे दिए गए क्यूआर को स्कैन करें:

अब ग्राहक यूको बैंक की सभी व्हाट्सएप्प बैंकिंग सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बरौनी के राजभाषा शील्ड, 2025 : प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री वेद प्रकाश, उप अंचल प्रमुख, यूको बैंक, अंचल कार्यालय, बेगूसराय

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, समस्तीपुर : प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते समस्तीपुर शाखा

पीयूष कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक

राष्ट्रीय लोक अदालत : न्याय का सुलभ और त्वरित माध्यम

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ और सुलभ होना अत्यंत आवश्यक है। परंपरागत न्यायालयों में मामलों की अधिकता, लंबी प्रक्रिया और बढ़ते खर्च के कारण आम नागरिक को समय पर न्याय मिलना कठिन हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी, सरल और त्वरित वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में उभरकर सामने आई है। यह न केवल न्यायालयों के भार को कम करती है, बल्कि आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान कर सामाजिक सौहार्द को भी सुदृढ़ बनाती है।

भारत की बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक धुरी है। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण उद्योग, व्यापार, कृषि और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को गति प्रदान करते हैं। किंतु कभी-कभी ऋण की अदायगी में विलंब या चूक हो जाती है, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करती है।

लोक अदालत की अवधारणा

लोक अदालत का अर्थ है – "जनता की अदालत"। यह वैकल्पिक विवाद निपटान (Alternative Dispute Resolution–ADR) की एक सशक्त व्यवस्था है, जिसमें न्यायालयों में लंबित या पूर्व-विवाद मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है।
भारत में लोक अदालतों की व्यवस्था को वैधानिक आधार , 1987 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में एक ही दिन आयोजित की जाती है। इसका आयोजन NALSA द्वारा किया जाता है। इसमें देशभर के न्यायालय – उच्च न्यायालय से लेकर जिला और अधीनस्थ न्यायालय तक एक साथ भाग लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है:

- लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा
- सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान करना
- न्यायालयों के लंबित मामलों का बोझ कम करना

राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाता है :-

1. बैंक ऋण वसूली संबंधी मामले
2. मोटर दुर्घटना दावा मामले
3. पारिवारिक विवाद
4. श्रम एवं औद्योगिक विवाद
5. विद्युत एवं जल बिल संबंधी मामले
6. चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामले
7. आपसी सहमति से निपटने योग्य सिविल एवं आपराधिक (समझौता योग्य) मामले

लोक अदालत की विशेषताएँ

1. **निःशुल्क प्रक्रिया** – इसमें कोई अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता। यदि पहले से शुल्क जमा है तो वह वापस किया जाता है।
2. **त्वरित न्याय** – एक ही दिन में अनेक मामलों का निपटारा हो जाता है।
3. **आपसी सहमति पर आधारित** – निर्णय पक्षकारों की सहमति से होता है।
4. **अंतिम और बाध्यकारी निर्णय** – लोक अदालत का निर्णय न्यायालय के आदेश के समान प्रभावी होता है और इसके विरुद्ध सामान्यतः अपील नहीं की जा सकती।
5. **सौहार्दपूर्ण समाधान** – इससे रिश्तों में कटुता कम होती है और सामाजिक समरसता बढ़ती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व

1. **न्याय तक समान पहुँच** – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी न्याय सुलभ होता है।
2. **न्यायालयों का भार कम करना** – लाखों मामलों का एक साथ निपटारा होता है।
3. **समय और धन की बचत** – लंबी अदालती प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है।
4. **सामाजिक समन्वय** – विवाद का समाधान संवाद और सहमति से होता है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व

1. **त्वरित ऋण वसूली:** लंबी न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर एक ही दिन में समझौते के माध्यम से ऋण वसूली संभव होती है।
2. **एनपीए में कमी:** समझौते द्वारा बकाया राशि की वसूली से बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में कमी आती है।
3. **लागत में बचत:** अदालती खर्च, वकीलों की फीस और समय की बचत होती है।
4. **ग्राहक संबंधों में सुधार:** लोक अदालत समझौता आधारित प्रक्रिया है, जिससे ग्राहक और बैंक के बीच सौहार्द बना रहता है।
5. **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी बिना भय और दबाव के समाधान पा सकते हैं।

विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जैसे , राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय भागीदारी कर अपने ऋण वसूली अभियानों को सफल बनाते हैं।

यद्यपि राष्ट्रीय लोक अदालत अत्यंत उपयोगी है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं:-

- सभी मामलों में समझौता संभव नहीं।
- कभी-कभी ग्राहक की भुगतान क्षमता सीमित होती है।
- बैंक और ग्राहक के बीच विश्वास की कमी।
- सभी प्रकार के मामलों का समाधान संभव नहीं।
- कभी-कभी समझौते के लिए पक्षकारों पर दबाव की आशंका।
- जागरूकता का अभाव।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु जनजागरूकता और पारदर्शिता तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है।

उपसंहार

राष्ट्रीय लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली का एक अभिनव और जनहितकारी कदम है। यह "सबके लिए न्याय" की अवधारणा को साकार करती है। त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान कर यह न केवल न्यायालयों के बोझ को कम करती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रोत्साहित करती है।

बैंकिंग और राष्ट्रीय लोक अदालत का संबंध परस्पर पूरक है। यह मंच बैंकों को त्वरित ऋण वसूली का अवसर देता है, वहीं ग्राहकों को सम्मानजनक और सरल समाधान प्रदान करता है।

वर्तमान समय में जब एनपीए की समस्या एक बड़ी चुनौती है, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक सशक्त, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से हितकारी उपाय सिद्ध हो रही है। यह न केवल आर्थिक संतुलन को मजबूत करती है, बल्कि न्याय और विश्वास की भावना को भी सुदृढ़ बनाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। अतः हमें इस व्यवस्था का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए और समाज में इसकी जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

रश्मि रंजन
प्रबंधक, बरियारपुर शाखा

ममता जीत ही गई

चीख थी-पुकार थी, उढ रही थी लहरें विकराल,
काँप उठी थी समंदर की गोदी जब आया था वो काल।
क्रूज डगमगाया पानी भर आया, मौत थी सामने खड़ी,
पर एक माँ की ममता, उस लहर से भी थी बड़ी।

ना थी कोई सुरक्षा ना था कोई सहारा,
बस एक ही था वो जैकेट, जिससे था उम्मीद सारा ।
माँ ने ना सोचा अपनी जान का, न देखा मौत का घेरा
बस एक ही जैकेट में बाँध लिया, जो था उसकी दुनिया का सवेरा ।

सीने से ऐसे चिपकाया, जैसे उसको सब पता हो,
डरना मत मेरे बच्चे, चाहे सामने खुद काल हो।
और फिर, तरंगे बढ़ती गई, साँसे घटती गयी, डूब गई वो हस्ती,
पर माँ की बाहों की वो पकड़, जिसमें ममता भी न हुई सस्ती ।

जब निकला गहरे पानी से, मंजर देख हर आँखे रोई,
मौत भी ममता की उस मजबूत पकड़ को तोड़ ना पाई।
हार गई वहाँ मौत खुद, कुदरत भी देख रह गई दंग
कौन भिड़े इस माई से, जिसके बाजुओं में थी वो पकड़ ।

चली गई सांसे, मगर वो ममता बन गई एक कहानी,
सरकार की लापरवाही, हर एक की आँखे रुलाई।
जीते जी आँच न आने दी, मरकर भी निभाया साथ,
एक ही क्रब में सोये दोनों, जिंदा रहेगा ये प्यार।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

अजय कुमार
क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रति वर्ष अक्तूबर माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रशासन, संस्थानों और समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देना है। यह सप्ताह हमें याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार केवल कानूनी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक चुनौती भी है। इसके समाधान के लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

सतर्कता का अर्थ एवं महत्व

सतर्कता का आशय है – सही के प्रति सजग रहना और गलत के प्रति आवाज़ उठाना। जब कोई व्यक्ति या संस्था नियमों के विपरीत कार्य करती है, तो उससे व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होती है। सतर्क नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखते हैं। अतः हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग- सरकारी अधिकारी, बैंकिंग कर्मचारी, निजी क्षेत्र, विद्यार्थी और आम नागरिक को भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें इसके विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

- प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को बढ़ावा देना
- जवाबदेही और सुशासन (Good Governance) को मजबूत करना
- भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की भावना विकसित करना
- नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना
- संस्थानों में पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना
- नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना

थीम और उसकी प्रासंगिकता

हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह एक विशेष थीम पर आधारित होता है, जो समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2025 की थीम "**सतर्कता – हमारी साझा ज़िम्मेदारी**" है। जिसका उद्देश्य शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के प्रति अधिक संवेदनशीलता सृजन करना है।

भारत में सतर्कता प्रणाली का विकास

भारत में सतर्कता प्रणाली का औपचारिक स्वरूप **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** के गठन के साथ मजबूत हुआ। यह आयोग सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकने, शिकायतों की जांच करने तथा नीतिगत सुधारों की सिफारिश करने का कार्य करता है।

समय के साथ, विभिन्न कानूनों और तंत्रों - जैसे सूचना का अधिकार (RTI), लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम ने सतर्कता प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया है।

बैंकिंग क्षेत्र में सतर्कता का महत्व

बैंकिंग क्षेत्र देश की आर्थिक रीढ़ है, इसलिए यहां सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनता के विश्वास पर आधारित होता है। यदि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है, तो आर्थिक विकास को गति मिलती है। बैंकिंग में छोटी-सी लापरवाही भी बड़े वित्तीय नुकसान और विश्वास संकट का कारण बन सकती है।

आज के डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण एवं साइबर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है तथा ग्राहकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार अनिवार्य है।

व्यक्तिगत स्तर पर सतर्कता

सतर्कता केवल संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

- नियमों का पालन करें
- किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ से बचें
- गलत कार्यों का विरोध करें
- नैतिक मूल्यों को अपनाएं

सतर्कता में नागरिकों की भूमिका

सतर्कता केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी और पारदर्शिता को अपनाए।

नागरिक क्या कर सकते हैं:

- रिश्वत देने और लेने से इनकार करें
- किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत करें
- डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें
- नैतिक मूल्यों का पालन करें

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान गतिविधियाँ

इस सप्ताह के दौरान विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे:

- सतर्कता शपथ (Integrity Pledge)
- निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ
- कार्यशालाएँ और सेमिनार
- जागरूकता रैलियाँ
- पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताएँ

ये गतिविधियाँ कर्मचारियों और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नैतिकता और नेतृत्व की भूमिका

किसी भी संस्था में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि नेतृत्व ईमानदार और पारदर्शी होगा, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे संगठन पर पड़ेगा।

सतर्कता और सुशासन का संबंध

सतर्कता और सुशासन एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां सतर्कता भ्रष्टाचार को रोकती है, वहीं सुशासन विकास को गति देता है।
सुशासन के तत्व:

- पारदर्शिता
- जवाबदेही
- सहभागिता
- कानून का शासन (Rule of Law)

शिक्षा और जागरूकता का महत्व

सतर्कता की भावना को बचपन से ही विकसित करना आवश्यक है। विद्यालयों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा के माध्यम से ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना विकसित की जा सकती है।

चुनौतियाँ और समाधान

चुनौतियाँ:

- मानसिकता में बदलाव की कमी
- भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णुता
- जटिल प्रक्रियाएँ

समाधान:

- प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- डिजिटल पारदर्शिता
- सख्त कानून और उनका पालन
- निरंतर जागरूकता अभियान

भविष्य की दिशा

भविष्य में सतर्कता को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का अधिक उपयोग करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

सतर्कता जागरूकता सप्ताह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक जनांदोलन का रूप है, जो हमें एक स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी समाज की दिशा में प्रेरित करता है। यदि प्रत्येक नागरिक, कर्मचारी और संस्था ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनाए, तो एक सशक्त, समृद्ध और भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का निर्माण संभव है।

“सतर्कता केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक संस्कृति है - जिसे अपनाकर ही हम राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं।”

बैंक उत्पाद

यूको पिंक
पिंक बास्केट
महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हमारे अनूठे जमा उत्पादों का चयन करें
निधि शर्मा, मास्टरशेफ इंडिया, फाइनलिस्ट, महिला ग्राहकों के लिए यूको पिंक बास्केट सहर्ष प्रस्तुत करती हैं।
यूको अपराजिता (बचत खाता)
• वैयक्तिक रूपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड
• रु.100 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना तथा मृत्यु कवर
यूको जया लक्ष्मी (चालू खाता)
• आरंभिक जमा राशि: रु. 5,000/-
• रु. 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवरेज
यूको संचयिका (फ्लेक्सी आवर्ती जमा)
• न्यूनतम मासिक जमा राशि: रु. 2,000/-
• रु.1.00 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज
*नियम एवं शर्तें लागू
यूको बैंक के साथ अपनी वित्तीय यात्रा की शुरूआत करें!

यूको बैंक
UCO BANK
यूको कार लोन
अब नई कार के साथ - मिले सपनों को रफ्तार।
ईएमआई (EMI)
1531/-* प्रति लाख
100%
डिजिटल स्वीकृति ऋण पर दस्तावेजीकरण एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट
ब्याज दर (ROI)
7.45%* प्रति वर्ष
1800 8910 (Toll Free) 8334001234 7666399400
Follow us

यूको बैंक
UCO BANK
यूको 333
यूको 333 सावधि जमा योजना के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।
सीमित अवधि हेतु उपलब्ध
शीघ्र करें
*नियम एवं शर्तें लागू
ब्याज दर
7.30%
प्रतिवर्ष
सामान्य
ब्याज दर
7.55%
प्रतिवर्ष
वरिष्ठ नागरिकों हेतु
1800-103-0123 (Toll Free) 8334001234 7666399400
Follow us

यूको बैंक
UCO BANK
यूको 444
(फिक्स्ड डिपॉजिट)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए
(ब्याज दर)
6.95%* प्रति वर्ष
सामान्य ग्राहकों के लिए
(ब्याज दर)
6.45%* प्रति वर्ष
जमा राशि
₹ 10,000 से ₹ 3 करोड़
(₹ 3 करोड़ से कम)
लाभ
अधिक रिटर्न
लोन / ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध
आत्मविश्वास के साथ निवेश करें
आज ही अपनी नजदीकी यूको बैंक शाखा में जाएँ या www.uco.bank.in पर लॉगिन करें।
1800 8910 (Toll Free) 8334001234 7666399400
Follow us

ओम प्रकाश नारायण
वरिष्ठ प्रबंधक (सुरक्षा)

हर हाथ को बैंकिंग, हर सपने को पंख

भारत एक उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जहां विकास के अनेक आयाम देखने को मिलते हैं। किंतु वास्तविक विकास वही माना जाएगा, जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। इसी विचार को साकार करने वाला एक प्रेरणादायक संदेश है—"हर हाथ को बैंकिंग, हर सपने को पंख"। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है।

समावेशी बैंकिंग: विकास का मूल आधार

समावेशी बैंकिंग (Financial Inclusion) का अर्थ है समाज के हर वर्ग—विशेषकर वंचित, ग्रामीण, गरीब, महिला और असंगठित क्षेत्र के लोगों—को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। लंबे समय तक इन वर्गों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक सीमित रही, जिससे वे अनौपचारिक और महंगे ऋण स्रोतों पर निर्भर रहे। इसका परिणाम आर्थिक शोषण और अस्थिरता के रूप में सामने आया।

समावेशी बैंकिंग इस स्थिति को बदलने का माध्यम है। जब किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता होता है, तो वह न केवल अपनी आय को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि उसे बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ भी मिलता है। यह उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है और जीवन में स्थिरता लाता है।

हर हाथ को बैंकिंग: व्यापक पहुंच का संकल्प

"हर हाथ को बैंकिंग" का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित न रहे। इस दिशा में विभिन्न योजनाओं और पहलों ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जन-धन खाते खोलने से लेकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तक, बैंकिंग सेवाओं को सरल और सुलभ बनाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र की नियुक्ति, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं और आधार आधारित पहचान प्रणाली ने बैंकिंग को घर-घर तक पहुंचाया है। अब लोग अपने गांव से ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाना संभव बनाया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

हर सपने को पंख: आर्थिक अवसरों का विस्तार

जब बैंकिंग सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो उसके जीवन में नए अवसरों का सृजन होता है। "हर सपने को पंख" का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हों।

छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार, कृषि निवेश, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को मिलने वाला ऋण न केवल रोजगार सृजन करता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाता है।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बैंकिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह (SHGs) और महिला उद्यमियों को मिलने वाला वित्तीय सहयोग उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाता है।

डिजिटल बैंकिंग: आधुनिक भारत की पहचान

तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। डिजिटल बैंकिंग ने सेवाओं को तेज, सुरक्षित और सुलभ बना दिया है।

मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और आधार आधारित भुगतान प्रणाली ने बैंकिंग को हर व्यक्ति की पहुंच में ला दिया है।

डिजिटल माध्यमों के उपयोग से न केवल लेन-देन सरल हुआ है, बल्कि वित्तीय समावेशन को भी गति मिली है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

हालांकि, डिजिटल बैंकिंग के साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। लोगों को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने हेतु जागरूक करना जरूरी है।

<u>बैंकों की भूमिका: सेवा, विश्वास और नवाचार</u>

इस परिवर्तनकारी यात्रा में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक न केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि वे आर्थिक विकास के प्रमुख वाहक भी हैं। विशेष रूप से सरकारी बैंक, सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए देश के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, सरल प्रक्रियाएं, तकनीकी नवाचार और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम—ये सभी पहलें बैंकिंग को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाती हैं। बैंक यदि स्थानीय आवश्यकताओं को समझकर सेवाएं प्रदान करें, तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

<u>चुनौतियां और समाधान</u>

हालांकि समावेशी बैंकिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे—

- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग अवसंरचना की कमी
- डिजिटल साक्षरता का अभाव
- वित्तीय जागरूकता की कमी
- साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिम

इन चुनौतियों का समाधान समन्वित प्रयासों से ही संभव है। सरकार, बैंक और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। वित्तीय साक्षरता अभियान, तकनीकी प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल वातावरण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

<u>निष्कर्ष: समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की ओर</u>

"हर हाथ को बैंकिंग, हर सपने को पंख" एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो आर्थिक विकास को सामाजिक समावेशन के साथ जोड़ता है। यह केवल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में प्रेरित करता है, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो।

जब देश का हर नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तब वह अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होगा। यही सशक्त नागरिक मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे।

अतः यह आवश्यक है कि हम सभी इस विचार को आत्मसात करें और अपने-अपने स्तर पर इसके क्रियान्वयन में योगदान दें, ताकि एक ऐसा भारत बन सके। जहां हर हाथ में बैंकिंग की शक्ति हो और हर सपने को पंख मिलें।

अभिजीत कुमार गिरि
वरिष्ठ प्रबंधक

बेगूसराय से गंगटोक का यात्रा वृत्तांत

भारत का उत्तर–पूर्वी क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं स्थानों में सिक्किम की राजधानी गंगटोक एक अत्यंत आकर्षक पर्यटन स्थल है। पहाड़ों की गोद में बसा यह शहर स्वच्छता, हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। मुझे भी एक बार बेगूसराय से गंगटोक की चार दिनों की यात्रा करने का अवसर मिला, जो मेरे जीवन की यादगार यात्राओं में से एक बन गई।

बिहार के शांत और सादगीपूर्ण वातावरण वाले शहर से निकलकर हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत शहर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है, जो जीवन भर स्मृतियों में बसा रहता है। यह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि संस्कृति, प्रकृति और अनुभवों की एक अद्भुत श्रृंखला है।

पहला दिन: बेगूसराय से गंगटोक – सफर और पहली झलक

मेरी यात्रा की शुरुआत बेगूसराय से हुई। सुबह-सुबह स्टेशन की चहल-पहल, चाय की खुशबू और यात्रियों की आवाजाही एक अलग ही उत्साह पैदा कर रही थी। मैंने ट्रेन द्वारा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक का सफर तय करने का निश्चय किया, जो गंगटोक का सबसे निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है।

ट्रेन का सफर बेहद रोचक होता है। ट्रेन धीरे-धीरे बिहार के मैदानी इलाकों से गुजरती हुई पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ती गई। रास्ते में खेत-खलिहान, नदियाँ और छोटे-छोटे गाँव दिखाई देते हैं। मैदानी इलाकों से पहाड़ी वातावरण की ओर बढ़ने का अनुभव यात्रा को खास बना देता है। लगभग 7 घंटे बाद हम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँचते हैं।

न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक तक की सड़क मार्ग की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। यहाँ से मैंने एक टैक्सी ली। टैक्सी जैसे ही पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी, वैसे ही दिल की धड़कन भी तेज हो गई। रास्ते में बहती तीस्ता नदी की कल-कल ध्वनि मन मोह लेने वाला था। पहाड़ों के बीच बहती यह नदी मानो यात्रा की साथी बन गई हो । घुमावदार पहाड़ी सड़कें, हरियाली और ठंडी हवा इस सफर को रोमांचक बना रही थीं। लगभग 4–5 घंटे की यात्रा के बाद, मैं गंगटोक पहुँचा। शहर की साफ-सफाई, अनुशासन और प्राकृतिक सुंदरता पहली नजर में ही दिल जीत लेती है।

गहराई से छू जाती है। ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में शांत झील का दृश्य अद्भुत था।

इसके बाद हम **त्सोमगो झील** की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित यह झील अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण है।

शाम को एमजी रोड पर टहलना एक सुखद अनुभव लगता है। यह गंगटोक का मुख्य बाजार है, जो एक वाहन-मुक्त क्षेत्र है, जहाँ रोशनी, कैफे और रंग-बिरंगी दुकानों की रौनक पर्यटकों का मन मोह लेती है। दिन का अंत स्वादिष्ट गरमा-गरम मोमो और चाय के साथ हुआ – एक ऐसा स्वाद जो आज भी याद है।

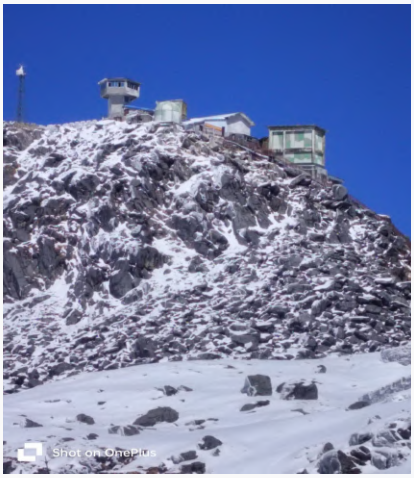

दूसरा दिन: प्रकृति, आध्यात्म और रोमांच का संगम

दूसरे दिन की शुरुआत ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच उगते सूरज के साथ हुई। सुबह की ताजगी ने मन को नई ऊर्जा से भर दिया।

सबसे पहले हम **रूमटेक मठ** पहुँचा। यह स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, जहाँ शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। यहाँ की घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चारण मन को भीतर तक शांत कर देते हैं। यह मठ अपनी भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांति मन को झील का शांत पानी और उसमें प्रतिबिंबित पहाड़ों का दृश्य किसी चित्र जैसा लगता है।

वहाँ से दोपहर में हम **नाथुला दर्रा** पहुंचे। यह स्थान भारत -चीन सीमा पर स्थित है। यहाँ भारतीय सैनिकों को देखकर गर्व की अनुभूति हुई। यह स्थान केवल एक सीमा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और साहस का प्रतीक है। तेज ठंडी हवाओं के बीच खड़े होकर देशभक्ति का जो भाव मन में आया, वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। ठंडी हवाएँ और बर्फ से ढके पहाड़ इस अनुभव को और खास बना देते हैं। शाम को वापस गंगटोक लौटकर स्थानीय बाजारों में घूमना और खरीदारी करना भी एक अलग ही अनुभव था। यहाँ के हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और स्मृति चिन्ह बहुत आकर्षक होते हैं।

तीसरा दिन: स्थानीय संस्कृति, शांति और वापसी

तीसरे दिन मन में हल्की उदासी थी, क्योंकि यह यात्रा अब समाप्ति की ओर थी। सुबह-सुबह पहाड़ों के बीच टहलते हुए ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। ठंडी हवा और बादलों का स्पर्श एक अलग ही सुकून दे रहा था।

हम स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी संस्कृति को करीब से समझते हैं। यहाँ नेपाली, भूटिया और लेपचा समुदायों का सुंदर मेल देखने को मिलता है।

यहाँ के लोग बहुत ही विनम्र और सहयोगी हैं। उनकी जीवनशैली में प्रकृति के प्रति सम्मान साफ दिखाई देता है।

यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों में मोमो, थुकपा और गुनगुनी चाय शामिल हैं। ठंडे मौसम में ये व्यंजन यात्रा के आनंद को और बढ़ा देते हैं। इसके बाद वापसी की तैयारी शुरू होती है।

गंगटोक से फिर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक बार फिर से तीस्ता नदी के सुंदर दृश्य ने मन को भावुक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह नदी मुझे विदा कर रही हो।

यात्रा का समग्र अनुभव

यह यात्रा केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मिक शांति का भी अनुभव कराती है। पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों का साथ और प्रकृति की गोद में बिताए पल मन को गहराई से छू गए। जीवन की भागदौड़ से दूर यह अनुभव अत्यंत सुकून देने वाला था। ये सब मिलकर इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं।

निष्कर्ष

बेगूसराय से गंगटोक की यह तीन दिन की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यात्राओं में से एक रही। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक शांति ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह यात्रा एक यादगार अनुभव है, जो हर यात्री को कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। यह यात्रा हमें प्रकृति के करीब लाती है और हर उस व्यक्ति के लिए आदर्श है जो प्रकृति, शांति और रोमांच का आनंद लेना चाहता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की भागदौड़ में भी कुछ पल प्रकृति के साथ बिताना कितना जरूरी है।

यदि आप भी जीवन की व्यस्तता से कुछ पल निकालकर खुद को प्रकृति के करीब ले जाना चाहते हैं और रोमांच, शांति और सुंदरता का संगम देखना चाहते हैं, तो गंगटोक की यह यात्रा आपके लिए एक आदर्श विकल्प है।

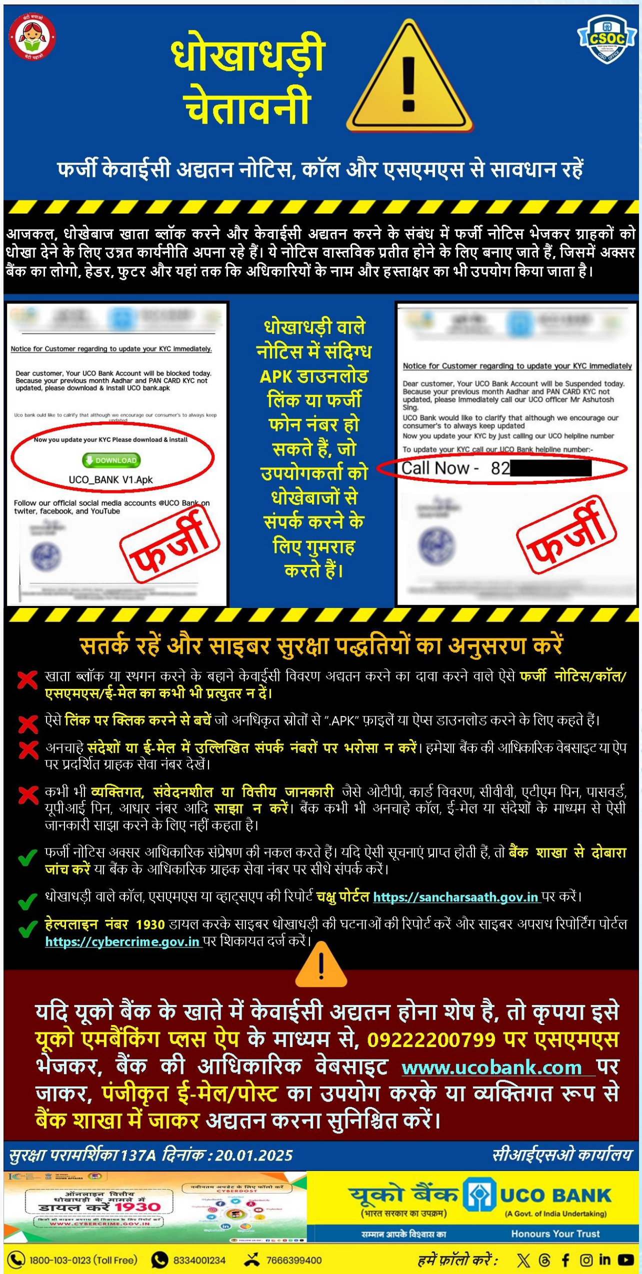

एटीएम जारी करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	जारी एटीएम की संख्या
1	कोचाधमन	1037	2976
2	रामपुर	1704	2453
3	औगान	1209	1939
4	मानिकपुर	1661	1869
5	बलिया	2785	1850

एम -बैंकिंग पंजीकरण करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	पंजीकृत उपयोगकर्ता
1	रामपुर	1704	2353
2	औगान	1209	1955
3	मंसुरचक	1122	1801
4	कोचाधमन	1037	1736
5	माहना	1562	1639

ई-बैंकिंग पंजीकरण करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	पंजीकृत उपयोगकर्ता
1	रामपुर	1704	499
2	गढ़पुरा	2469	202
3	बेगूसराय	0239	191
4	खगड़िया	1494	187
5	मुंगेर	0428	185

व्हाट्सएप्प बैंकिंग पंजीकरण करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	पंजीकृत उपयोगकर्ता
1	बारो	1037	1605
2	रामपुर	1704	1580
3	औगान	1209	1426
4	बनवारीपुर	1363	1328
5	माहना	1562	1248

एसटीपी ऋण करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	एसटीपी ऋण की संख्या
1	बरौनी	3500	81
2	उलाव -बेगूसराय	2726	71
3	बेगूसराय	0239	66
4	खम्हार रजवाड़ा	1380	57
5	बारो	1037	55

डिजिटल सावधि जमा करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	सावधि जमा प्रतिशत
1	फॉरबिसगंज	2257	90.27
2	ग्वासी	1619	90.10
3	बाथनहा	1582	89.02
4	बलिया	2785	85.71
5	ताजपुर	2784	84.06

यूको जया लक्ष्मी

अपने व्यवसाय को सहज बैंकिंग के साथ

क्र. सं.	विवरण	यूको जया लक्ष्मी
1.	न्यूनतम मासिक औसत शेष (एमएबी)	न्यूनतम मासिक औसत शेष ₹10,000/- (सभी केंद्रों हेतु)
2.	पात्रता	व्यक्तिगत महिलाएं / महिला एकल स्वामित्व फर्म
3.	प्रारंभिक जमा राशि	₹5000/-
4.	तिमाही औसत शेष/मासिक औसत शेष नहीं रखने हेतु प्रभार	₹200/- + जीएसटी प्रति माह
5.	एनईएफ़टी/आरटीजीएस	नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग द्वारा प्रतिदिन ₹5 लाख तक निःशुल्क। शाखा में प्रभार लागू
6.	आईएमपीएस	प्रतिदिन ₹1 लाख तक निःशुल्क
7.	व्यक्तिगत चेक पत्तियां	प्रथम 50 चेक पत्तियां निःशुल्क, तत्पश्चात प्रभार लागू
8.	पीओ/डीडी/टीटी/एमटी	प्रभार लागू
9.	स्वचालित अंतरण सुविधा (ऑटो स्वीप सुविधा) (स्वीप-इन एवं स्वीप-आउट)	उपलब्ध नहीं
10.	डेबिट कार्ड	निःशुल्क जारी (रुपे प्लेटिनम – वैक्तिक)
11.	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर	₹5 लाख + ₹2 लाख (रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड)
12.	कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग	उपलब्ध
13.	कॉर्पोरेट मोबाइल बैंकिंग	उपलब्ध
14.	ओवरड्राफ्ट सुविधा	उपलब्ध नहीं

यूको संचायिका

छोटे कदम, बड़ी बचत: हर जमा के साथ बढ़ें।

क्रं. सं.	विवरण	यूको संचायिका
1.	खाते का प्रकार	व्यक्तिगत महिला जमाकर्ताओं हेतु 'यूको संचयिका' लचीली आवर्ती जमा खाता।
2.	जमा राशि	न्यूनतम मासिक जमा राशि रु. 2000/- और उसके बाद रु.500/- के गुणकों में। प्रति माह जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। अधिकतम मासिक जमा राशि की कोई सीमा नहीं"। हालाँकि, प्रति लेनदेन प्रति खाते अधिकतम जमा राशि रु.2 करोड़ से कम होगी।
3.	जमा अवधि	न्यूनतम अवधि 12 माह और अधिकतम अवधि 60 माह है। जमा राशि केवल 12/24/36/48/60 माह के ब्लॉक में ही जमा की जा सकती है।
4.	ब्याज दर (%)	'यूको संचायिका' आवर्ती जमा पर ब्याज दर बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य सावधि जमा (रु.3 करोड़ से कम) के लिए घरेलू कार्ड दर द्वारा निर्धारित की जाएगी और इसकी गणना दैनिक आधार पर की जाएगी तथा तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा।
5.	बीमा कवरेज *	'यूको संचायिका' योजना के खाताधारक को प्रति ग्राहक (सीआईएफ) रु.1.00 लाख का व्यक्तिगत आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज केवल तभी उपलब्ध होगा जब जमा अवधि 60 माह हो। इस योजना की महिला खाताधारक (एकल) को ही व्यक्तिगत आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। संयुक्त खाते के मामले में, पहली आवेदक महिला होनी चाहिए और बीमा कवरेज केवल पहली आवेदक को ही प्रदान किया जाएगा। व्यक्तिगत आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज का लाभ प्राप्त करने हेतु खाताधारक की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 65 वर्ष होनी चाहिए।
6.	महिला वरिष्ठ नागरिकों/ कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ	बैंक की सावधि जमा (<रु.2 करोड़) के लिए लागू ब्याज दर से अधिक और अतिरिक्त ब्याज दर ।
7.	ऋण सुविधा	उपलब्ध
8.	नामांकन	उपलब्ध

कार्यपालक निदेशक महोदय के कर कमलों से अंचल कार्यालय, बेगूसराय की छमाही ई-पत्रिका “यूको दीप” का विमोचन

कार्यपालक निदेशक महोदय का अंचल कार्यालय, बेगूसराय का निरीक्षण

बैंक का वित्तीय परिणाम: 2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के परिणामों की मुख्य विशेषताएं

व्यवसाय वृद्धि –

बैंक का कुल कारोबार 31.03.2026 को ₹5,90,314 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14.95% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें सकल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.44% की वृद्धि होकर ₹2,62,752 करोड़ और कुल जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.59% की वृद्धि होकर ₹3,27,563 करोड़ हो गया।

कासा वृद्धि -

दिनांक 31.03.2026 को कुल कासा राशि ₹1,17,752 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.46% की वृद्धि दर्शाता है। बचत जमा ₹1,01,025 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.78% की वृद्धि दर्शाता है तथा चालू जमा ₹16,727 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.77% की वृद्धि दर्शाता है।

कासाअनुपात में 74 बीपीएस का सुधार हुआ और यह 38.65% हो गया।

लाभप्रदता –

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए निवल लाभ ₹801करोड़ रहा, जबकि 31.03.2025 को यह ₹653 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 22.66% की वृद्धि दर्शाता है। 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए परिचालन लाभ ₹1,573 करोड़ रहा। 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए निवल ब्याज मार्जिन-वैश्विक 3.00% तथा निवल ब्याज मार्जिन-घरेलू 3.19% रहा।

रिटेल, कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम (आरएएम) क्षेत्रों में अग्रिम -

बैंक के आरएएम सेगमेंट में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 24.23% वृद्धि करते हुए ₹1,52,324 करोड़ हो गया, जो खुदरा अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.62% की वृद्धि, कृषि अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.24% की वृद्धि तथा एमएसएमईअग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.36% की वृद्धि दर्शाता है।

एनपीए में कमी-

सकल एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 52 बीपीएस की कमी होकर 31.03.2026 को 2.17% हो गया, जबकि निवल एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 23 बीपीएस की कमी होकर 31.03.2026 को 0.27% हो गया।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात - 31.03.2026 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 18.61% रहा, जिसमें टियर I पूंजी अनुपात 16.59% रहा।

ऋण-जमा अनुपात - 31.03.2026 को 80.21% रहा, जबकि 31.03.2025को यह 74.94% था।

लाभप्रदता (मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही):

- 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए निवल लाभ ₹801करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹653करोड़ था, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 22.66% की वृद्धि दर्शाता है।
- 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए निवल ब्याज मार्जिन(एनआईएम)-वैश्विक 3% और निवल ब्याज मार्जिन(एनआईएम)-घरेलू 3.19% रहा।
- 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिएनिधि की लागत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर31बीपीएस के सुधार के साथ 4.47% रहा।
- 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए अग्रिमों पर प्रतिफल(घरेलू) 8.18% रहा।
- 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिएलागत-आय अनुपात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर581बीपीएस का सुधार के साथ 52.66% रहा।
- आस्ति पर प्रतिफल (आरओए) 0.87% रहा, जो जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10बीपीएस का सुधार दर्शाता है।
- शुल्क आधारित आय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 32.65% की वृद्धि हुई और 31.03.2026 को यह बढ़कर ₹516 करोड़ हो गई, जबकि 31.03.2025 को यह ₹389 करोड़ थी।

लाभप्रदता (31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष):

- 31.03.2026 को समाप्त वार्षिक अवधि के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.49 % की वृद्धि दर्ज की गई है और यह बढ़कर ₹6429करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2025 को समाप्त वार्षिक अवधि में यह₹6037करोड़ थी।
- 31.03.2026 को समाप्त वार्षिक अवधि के शुद्ध लाभ में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.21% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹2,768करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2025 को समाप्त वार्षिक अवधि में यह₹2,445 करोड़ थी।
- 31.03.2026 को समाप्त वार्षिक अवधि के लिए आस्ति पर प्रतिफल (आरओए) 0.79% रहा।
- निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.89% की वृद्धि हुई और 31.03.2026 को समाप्त वार्षिक अवधि के लिए यह ₹10,197 करोड़ रही, जबकि 31.03.2025 को समाप्त वार्षिक अवधि में यह ₹9,630 करोड़ थी।

- शुल्क आधारित आय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 25.40% की वृद्धि हुई और 31.03.2026 को समाप्त वार्षिक अवधि के लिए यह बढ़कर ₹1,733करोड़ हो गई, जबकि 31.03.2025 को समाप्त वार्षिक अवधि के लिए यह ₹1,382करोड़ थी।

आस्ति एवं देनदारियां (31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार)

- 31.03.2026को रिटेल अग्रिम ₹68,697करोड़ रहा, जबकि 31.03.2025को यह ₹54,255 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में 26.62% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से गृह ऋण और वाहन ऋण पोर्टफोलियो में हुई वृद्धि के कारण हुई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार परक्रमशः 19.11% और 71.12% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 31.03.2026 को कृषिअग्रिम ₹37,336 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2025को यह ₹29,575 करोड़ था, जोवर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.24% की वृद्धि दर्शाता है।
- 31.03.2026 को एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ऋण ₹46,291 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2025को यह ₹38,783 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.36% की वृद्धि दर्शाता है।

आस्ति गुणवत्ता

- 31.03.2026 को प्रावधान कवरेज अनुपात 97.79% रहा। 31.03.2026 को मूर्त प्रावधान कवरेज अनुपात 87.66% रहा।
- 31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए स्लिपेज अनुपात 0.78% रहा।

परिचालन दक्षता:

- 31.03.2026 को प्रति कार्मिक कारोबार बढ़कर ₹28.08 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2025 को यह ₹24.35 करोड़ था।
- 31.03.2026 को प्रति शाखा कारोबार बढ़कर ₹172.91 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2025 को यह ₹155.43 करोड़ था।

शाखा नेटवर्क:

31.03.2026 तक शाखाओं की कुल संख्या: 3412 घरेलू शाखाएं, 2 विदेशी शाखाएं- प्रत्येक हांगकांग और सिंगापुर में और ईरान में 1 प्रतिनिधि कार्यालय। घरेलू शाखाओं का 61 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

राजभाषा अधिनियम, 1963

(यथासंशोधित, 1967)

(1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों तथा उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

I. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

1. यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
2. धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

II. परिभाषाएं-इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है।

ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

III. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना -

संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही,

क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी; तथा
ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी

को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

1.उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा —

I. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

II. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

III. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृद हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

2. उपधारा (1) में अन्तर्विह किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही

I. संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

II. संसद के किसी सदन सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए

III. केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा - प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

3. उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालया, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और

दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूपा से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीणा नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

4. उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा , जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

IV. राजभाषा के संबंध में समिति -

1. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।
2. इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
3. इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद्ध के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।
4. राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा: परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

V. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद -

1. नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित -

क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा
ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

2. नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

VI. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

जहां किसी राज्य के विधानमण्डल ने उस राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयाग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

VII. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग -

नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

VIII. नियम बनाने की शक्ति -

1. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
2. इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने जाने के के पक्षात यथाशीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्ववोंक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

IX. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना-

धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।।

सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले वाक्यांश

संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें	A brief note is placed below
चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए	Action against defaulters may be taken
कृपया सभी संबंधित व्यक्ति नोट करें	All concerned to please note
प्रस्ताव अनुमोदित	Approved as proposed
रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें	Await report
रिपोर्ट मंगाएँ	Call for a report
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित	Copy forwarded for necessary action
तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है	Copy enclosed for ready reference
बिल की जांच की गई और उसे सही पाया गया	Bill has been scrutinized and found in order
आनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए	Disciplinary proceedings may be initiated
विसंगतियों को ठीक किया जाए	Discrepancy may be reconciled
विचार-विमर्श के दौरान	During the course of discussion
जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें	Enquiry may be conducted and report submitted
शीघ्र कार्रवाई करें	Expedite action
मामले के तथ्य प्रस्तुत करें	Facts of the case may be put up
यथावश्यक कार्रवाई हेतु	For such action as may be necessary
अग्रेषित और संस्तुत	Forwarded and recommended
भुगतान के लिए पारित किया जाए	May be passed for payment
इसे अति आवश्यक समझा जाए	May be treated as urgent
आवश्यक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है	Necessary information is still awaited
आवश्यक कार्रवाई की जाए	Necessary steps should be taken
संबंधित कागजात प्रस्तुत करें	Relevant papers may be put up
तत्काल कार्रवाई करें	Urgent action is required
कृपया शीघ्र पालन करें	Please expedite compliance

यूको बैंक, चौराही शाखा (1126) के नए भवन का उद्घाटन करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय

यूको बैंक, मोहनपुर मार्केट शाखा (3717) का उद्घाटन करते हुए श्री देबाशीष नायक, उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय

स्वयं सहायता समूह वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत अंचल कार्यालय, बेगूसराय द्वारा एसएचजी को एक सौ ग्यारह करोड़ रुपये का ऋण संवितरण करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले

राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज: हिंदी

भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि एक पहचान, संस्कृति का दर्पण और एक इतिहास का प्रतीक होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव की एक मजबूत आवाज है। यह भारत की समृद्ध विरासत और विविध परंपराओं को दर्शाती है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में, हिंदी ने एक अद्वितीय भूमिका निभाई है, जो न केवल राष्ट्रीय एकता का सूत्रधार बनी है, बल्कि इसने सांस्कृतिक गौरव को भी वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया है।

संस्कृत से निकली और प्राकृत तथा अपभ्रंश से प्रभावित हिन्दी सदियों से विकसित होती आई है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो स्वयं भारत की समृद्ध साहित्यिक और दार्शनिक परंपराओं का प्रमाण है। प्राचीन वेदों से लेकर आधुनिक साहित्य तक, हिन्दी ने भारतीय विचार, मूल्यों और ज्ञान के सार को आगे बढ़ाया है।

राष्ट्रीय एकता का प्रतीक: हिंदी

यह भाषा भारत की यात्रा की गवाह रही है—प्राचीन साम्राज्यों से लेकर औपनिवेशिक शासन तक, और अंत में स्वतंत्रता तक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हिंदी ने विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और धर्मों के लोगों को एक ही झंडे के नीचे एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और भरतेंदु हरिश्चंद्र जैसे नेताओं ने हिंदी के महत्व पर एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में जोर दिया जो भारत की भाषाई विविधता को पाट सकती है।

भारत भाषाई विविधता की एक भूमि है, जहाँ 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ हैं। इतने बहुभाषी परिदृश्य में, हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है—एक आम भाषा जो राज्यों और समुदायों में संचार को सक्षम बनाती है। यह 50 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा पहली भाषा के रूप में बोली जाती है और देश भर में इससे कई और लोग समझते हैं।

भारत में विभिन्न भाषाएँ, बोलियाँ और लिपियाँ हैं, लेकिन हिंदी ने हमेशा से एक सम्पर्क भाषा (लिंगुआ फ़्रैंका) के रूप में कार्य किया है। महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया, का मानना था कि यह भाषा ही देश के विभिन्न भागों को एक सूत्र में पिरो सकती है।

- **संवाद का माध्यम:** हिंदी ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया है। चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो, या सामाजिक गतिविधियाँ, हिंदी ने एक पुल का काम किया है। यह विभिन्न राज्यों के लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और अपनी बातों को साझा करने में मदद करती है।

- **साहित्य और कला:** हिंदी साहित्य, जिसमें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, और महादेवी वर्मा जैसे महान लेखकों की रचनाएँ शामिल हैं, ने भारतीय मूल्यों और विचारों को पूरे देश में फैलाया है। इसके अलावा, हिंदी सिनेमा ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो पूरे भारत में लोकप्रिय है और विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों को दर्शाती है।

सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक पहचान: हिंदी

हिंदी सिर्फ एक बोली जाने वाली भाषा नहीं है, यह साहित्य, कविता और दर्शन का खजाना है। तुलसीदास और कबीर के भक्ति गीतों से लेकर प्रेमचंद और महादेवी वर्मा के प्रगतिशील लेखन तक, हिंदी साहित्य भारत की आत्मा को दर्शाता है। यह आम लोगों के संघर्षों, सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। हिंदी कविता, विशेष रूप से ग़ज़ल, दोहा और गीत के रूप में, भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम बनी हुई है।

इसके अलावा, हिंदी सिनेमा - जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है - ने विश्व स्तर पर हिंदी को लोकप्रिय बनाने में एक स्मारकीय भूमिका निभाई है। फिल्मों, गीतों और संवादों के माध्यम से, हिंदी भारत की सीमाओं से परे दर्शकों तक पहुंची है, और राष्ट्र का सांस्कृतिक राजदूत बन गई है।

आज, हिंदी सिर्फ भारत की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक भाषा बन चुकी है। दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, जिसमें भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीय और विदेशी लोग भी शामिल हैं।

- **अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता:** संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का उपयोग, विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों की स्थापना, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिंदी का बढ़ता चलन इसकी वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। यह भारत की **सॉफ्ट पावर** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **प्रवासी भारतीयों का जुड़ाव:** विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लिए हिंदी अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक सशक्त माध्यम है। वे हिंदी के माध्यम से अपनी संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाते हैं।
- **पर्यटन और व्यापार:** हिंदी का ज्ञान विदेशी पर्यटकों को भारत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसी तरह, यह भारत और अन्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करता है।

हिंदी और राष्ट्रीय पहचान

स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारत सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान और प्रचार करता है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में हिंदी का एक विशेष स्थान है।

हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा जैसे उत्सव केवल औपचारिक नहीं हैं, बल्कि हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। ये आयोजन लोगों, विशेष रूप से युवाओं को हिंदी में बोलने, लिखने और सोचने पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में हिंदी को एक जीवंत और विकसित भाषा बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ओटीटी सेवाओं पर हिंदी सामग्री का उदय आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता का प्रमाण है।

भविष्य की दिशा: चुनौतियाँ और अवसर

आज, हिंदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव और हिंदी में तकनीकी शब्दों की कमी। हालांकि, डिजिटल मीडिया के इस युग में हिंदी के लिए नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी सामग्री की बढ़ती माँग इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा रही है।

निष्कर्ष

हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत की पहचान, उसकी एकता और उसके सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक सांस्कृतिक और भाषाई पुल है, जो भारत को शेष विश्व से जोड़ता है। यह हमारी पहचान का प्रतीक है और हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़कर रखती है। हिंदी को बढ़ावा देना और उसका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, ताकि यह अपनी गौरवशाली यात्रा को जारी रख सके।

दर्शिता सलारिया
पुत्री– अनिल सलारिया, मुख्य प्रबंधक

छवि
पुत्री- गौतम कुमार, प्रबंधक

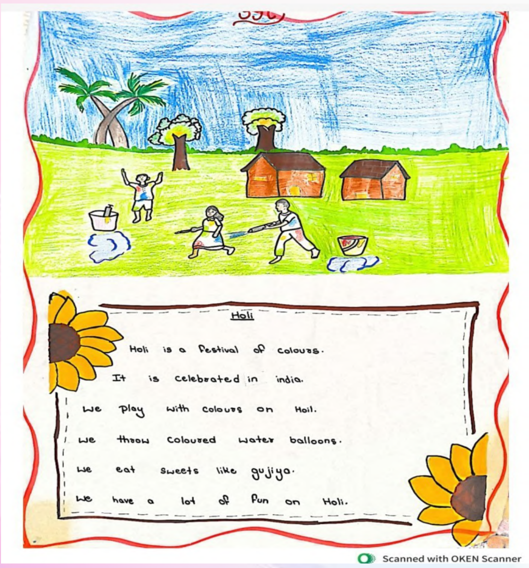

सृष्टि कुमारी
पुत्री-पीयूष कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक

किसान की खुशहाली
और जिंदगी में नयी उमंग
यूको बैंक के कृषि ऋण के संग

- यूको किसान तत्काल योजना
- कृषि उपज के विपणन हेतु किसानों को वित्तपोषण योजना, अर्थात गोदाम/शीत भंडारण रसीद के आधार पर
- सौर सिंचाई पंपसेट योजना
- यूको अमृत धारा
- कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र (ACABC)
- कृषि मुद्रा ऋण
- केसीसी गोल्ड लोन
- यूको किसान सर्व प्रयोजन सावधि ऋण योजना
- पीएमएफएमई
- चावल शेलर

- मत्स्य पालन
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए केसीसी
- यूको कृषि कनकधारा योजना
- कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
- यूको खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाई
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
- ग्रीन हाउस खेती
- शीत भंडारण और शीत-श्रृंखला अवसंरचना के निर्माण/
- बागवानी और बागान फसलों के वित्तपोषण की योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

Toll Free Help Line : 1800 8910 Whatsapp Banking Say "Hi" to 8334001234
UCOBankofficial UCOBankofficial Official.ucobank UCO BANK UCO Bank Official

यूको बैंक
UCO BANK

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

एक कॉल.
हर समाधान.

आपकी बैंकिंग ज़रूरतें,
एक कॉल में पूरी.

खाता बैलेंस और खाता विवरण	एटीएम / डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग	चेक बुक सेवाएँ
टीडीएस और ब्याज प्रमाणपत्र	सेवा अनुरोध	...और कई अन्य सेवाएँ

यूको बैंक ग्राहक सेवा
1800 8910

24x7
सहायता
टोल फ्री

अपने स्मार्ट बैंकिंग के लिए डायल करें **आठ-नौ-एक-शून्य**

सुरक्षित और विश्वसनीय
आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता।

विशेषज्ञ सहायता
तेज़, आसान और प्रभावी समाधान।

हर समय, हर जगह
जब भी ज़रूरत हो, हम आपके साथ।

ग्राहक पहले
आपकी सुविधा हमारी प्रतिबद्धता।

1800 8910 (टोल फ्री) 8334001234 7668399400

हमसे जुड़ें

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का
Honours Your Trust